

# जवाहर नवोदय विद्यालय, राजीवपुरम्, उन्नाव

## निविदा एवं संविदा की सामान्य शर्तें



निविदा प्रपत्र क्रम संख्या.....  
निविदा प्रपत्र का मूल्य रु० 300/-  
विक्रिय तिथि.....

सन्दर्भ सं० 2-4 / जनवित / 2022-23 /  
सेवा में,  
मेरसर्स.....  
.....  
.....

दिनांक : .....

विषय:- जवाहर नवोदय विद्यालय, राजीवपुरम्, उन्नाव हेतु ..... सामग्री की आपूर्ति हेतु  
निविदा।

महोदय,

- उपर्युक्त विषय के सम्बंध में नवोदय विद्यालय समिति लखनऊ संभाग के जवाहर नवोदय विद्यालय जनपद उन्नाव हेतु मुहरबन्द लिफाफे में निविदाएं आमंत्रित की जाती है। विदित हो कि नवोदय विद्यालय समिति के निर्देशानुसार निविदा प्रक्रिया द्वारा केवल उन्हीं वस्तुओं को क्रय किया जाना है जो GeM Portal पर उपलब्ध नहीं है। अत एव निविदा प्रक्रिया द्वारा दरें स्वीकृत कर दिये जाने के बावजूद यह विद्यालय के लिए बाध्यकारी नहीं होगा कि विद्यालय के लिए आवश्यक सामानों जो वस्तुएँ GeM Portal पर उपलब्ध हैं उनकी आपूर्ति लेना अनिवार्य नहीं होगा।
- आपूर्तिकर्ता निर्धारित निविदा पत्र पर विधिवत् भरी हुई निविदा धरोहर राशि और निविदा फार्म का मूल्य विद्यालय के पंजाब नेशलन बैंक, काली मिट्टी, उन्नाव के खाता सं० 2474000100000022 आईएफएससी कोड सं० PUNB0247400 में जमा कर जमा पर्ची निविदा फार्म के साथ मोहरबन्द लिफाफे में जवाहर नवोदय विद्यालय राजीवपुरम्, उन्नाव के प्राचार्य के नाम से केवल पंजीकृत डाक/निविदा बाक्स के माध्यम से दिनांक 12.07.2022 तक को सौंय 04:00 बजे तक पहुंचने पर स्वीकार की जायेगी। लिफाफे के ऊपर बाँधी ओर सुस्पष्ट शब्दों में प्रस्तावित सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए (उदाहरण के लिये जैसे:-“खाद्य सामग्री की निविदा” लिफाफे पर लिखा होना चाहिये)। दिनांक 12.07.2022 सौंय 04:00 बजे तक विद्यालय में प्राप्त हुई निविदाओं को समिति द्वारा दिनांक 13.07.2022 को पूर्वाहन् 11:00 बजे विद्यालय क्रय परामर्श दात्री समिति की बैठक में विद्यालय प्रांगण में खोलकर निर्णय लिया जायेगा।
- निविदायें निविदा फार्म की शर्तों जिनका उल्लेख इस फार्म में किया जा रहा है के अनुसार भरी जानी चाहिए तथा निविदा दाता को निविदा में निहित शर्तों की सहमति पर अपने हस्ताक्षर अंकित अवश्य करने चाहिए। राशन मद हेतु संबंधित फर्म हैसियत प्रमाण पत्र व खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनिवार्यरूप से संलग्न करें जमा न करने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा फार्म निरस्त कर दिया जाएगा।
- निविदा में दर्शायी गई दरें सभी कर सहित जैसे जी०एस०टी० इत्यादि तथा अन्य कर सहित होनी चाहिए तथा एफ.ओ.आर. जवाहर नवोदय विद्यालय राजीवपुरम्, उन्नाव होना चाहिए। परन्तु किसी भी दशा में वस्तु पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए।
- निविदा फार्म में अंकित मूल्य वस्तु व उनके मूल्यों में कोई काट छांट नहीं होनी चाहिए। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन करना आवश्यक हो तो साफ तरीके से किया जाना चाहिए तथा परिवर्तन पर हस्ताक्षर व दिनांक का उल्लेख होना चाहिए।
- अधोहस्ताक्षरी किसी भी निविदा को स्वीकृत करने के अधिकार को अपने पास सुरक्षित रखता है एवं व न्यूनतम दर वाले निविदा को ही स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं हैं। वह किसी भी निविदा को बिना उसका कारण बताये निरस्त कर सकता है। निविदा की स्वीकृत न्यूनतम दरें गुणवत्ता को ध्यान में रखकर की जायेगी।
- निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी और निविदाकर्ता के बीच यह निविदा प्रपत्र स्वतः एक अनुबन्ध के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तथा निविदादाता इस प्रपत्र में उल्लिखित सभी शर्तों के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य होगा।
- जिन निविदादाता की निविदा स्वीकार नहीं होगी उन्हें धरोहर राशि निविदा स्वीकृत होने की तारीख के एक माह के भीतर लौटा दी जाएगी। किसी भी दशा में बयाना राशि के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। सरकारी संस्थाएं निविदा हेतु आवेदन करना चाहती हैं तो वह बयाना राशि में छूट हेतु सक्षम अधिकारी से निर्गत अपने सरकारी विभाग होने का प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे परन्तु फर्म को ऐसा विभागीय पत्र लगा देने मात्र से बयाना राशि जमा न किए जाने की छूट प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए विद्यालय क्रय समिति स्वयं निर्णय लेगी जो निविदा दाता पर लागू होगा।

9. जिन निविदादाताओं की निविदायें स्वीकार हो जायेगी उनके द्वारा प्रस्तुत बयाना राशि (**Security Deposit**) स्वतः प्रस्तावित आपूर्ति हेतु धरोहर राशि में समायोजित कर दी जायेगी तथा सामान्य परिस्थितियों में मूल रकम निविदा पूर्ण होने पर वापस कर दी जाएगी।
10. निविदा दाता को आपूर्ति आदेश में निर्दिष्ट अवधि के अन्दर प्रस्तावित सामग्री की आपूर्ति करनी होगी। असफल होने पर अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह प्रस्तावित सामग्री की आपूर्ति अन्य श्रोत से पूर्ण कर लें तथा मूल्यों में अन्तर होने के कारण हुई कुल हानि की वसूली निविदादाता द्वारा प्रस्तुत लम्बित बिलों से अथवा उसके द्वारा जमा धरोहर राशि से समायोजित कर ली जाएगी।
11. सभी निविदादाता अपने अपने नमूने दिनांक 12.07.2022 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करवा दें। ब्राण्डेड आइटम सामान के नमूने की आवश्यकता नहीं होगी।
12. वस्तु की आपूर्ति की जाँच अधोहस्ताक्षरी द्वारा या अन्य प्रतिनिधि/कमेटी द्वारा की जायेगी। यदि आपूर्ति वस्तु स्वीकृत नमूने के अनुसार नहीं है अथवा निर्धारित निर्दिष्टकरण के अनुसार नहीं है तो आपूर्ति को निविदादाता द्वारा स्वयं के खर्च पर बदला जायेगा अन्यथा आपूर्ति को निरस्त कर दिया जाएगा। यह अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।
13. निविदा पत्र उन्हीं फर्मों/कम्पनियों के स्वीकार किए जाएंगे जो उस वस्तु सामान अथवा मशीन इत्यादि के व्यापार में संलग्न हो तथा उनका जीएसटी पंजीकरण उस वस्तु विशेष के व्यापार करने हेतु हों। किसी भी जनरल आर्डर सप्लायर कमीशन एजेंट एवं मध्यस्थ को निविदा प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा।
14. निविदादाता को अपने पक्ष में प्राप्त आपूर्ति आदेश की वस्तुएं अपने स्तर से ही आपूर्ति करनी होगी। वह उसका कोई अंश / भाग अन्य फर्म को आपूर्ति करने हेतु स्थानान्तरित नहीं कर सकता।
15. फर्म को भुगतान करने में राशि के प्रेषण का ड्राफ्ट व्यय यदि कोई होता है तो वह फर्म द्वारा वहन किया जाएगा।
16. विवादास्पद वस्तु के मामले में भुगतान की राशि रोकी जा सकती है तथा विवादास्पद वस्तुओं का निपटारा होने पर इनके परिणाम के अनुसार रकम का भुगतान किया जायेगा।
17. अगर निविदा फर्नीचर आपूर्ति के लिए है तो निविदादाता प्रत्येक फर्नीचर सामान पर धातु की प्लेट लगायेंगे जिस पर फर्म का नाम तथा आपूर्ति का वर्ष अंकित होगा।
18. निविदा की दरें दिनांक 30.04.2023 तक, मरम्मत रखरखाव, विद्युत सामग्री और रंग रोगन की दरे 30.06.2023 तक मान्य होंगी।
19. निविदा दाता आपूर्ति आदेश में निर्दिष्ट वस्तुओं में यदि किसी वस्तु के साथ उपहार स्कीम कम्पनी उपलब्ध करा रही है तो निविदा दाता उस उपहार को विद्यालय को उपलब्ध करायेगा तथा उसे बिल में भी दर्शायेंगे परन्तु उसकी कीमत शूच्य होगी परन्तु उपहार में दी गई वस्तु की कीमत की माँग नहीं करेंगे।
20. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र सम्बन्धित विद्यालय का जनपद क्षेत्र होगा।
21. भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा निर्धारित आयकर की कटौती आपूर्तिकर्ता के बिल से की जायेगी और आयकर विभाग को भेज दी जायेगी।
22. आपूर्ति आदेश के अनुसार वस्तुओं की आपूर्ति न करने पर अथवा निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार है कि वह धरोहर राशि को जब्त करते हुए निविदा अनुबन्ध को निरस्त कर फर्म को काली सूची में अंकित हेतु कार्यवाही की जाएगी।
23. निविदा प्रपत्र अस्तान्तरणीय होगा।
24. निविदादाता निविदा के साथ निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे।
  - निविदा शर्त स्वीकार होने का प्रमाण—पत्र (निर्धारित प्रारूप संलग्न)।
  - आयकर रिटर्न 2022.23 की प्रति के साथ आयकर रिटर्न की मंजूरी संबन्धी प्रमाण पत्र।
  - निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट।
  - निर्धारित निविदा शुल्क राशि का बैंक ड्राफ्ट यदि निविदा प्रपत्र विद्यालय बेबसाइट से निकाले गये हों।
  - यदि निविदादाता अनुमोदित वितरक है तो सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा अनुमोदित वितरक का प्रमाण पत्र।
  - फर्म का वैट व जीएसटी पंजीकरण से संबंधित प्रमाण पत्र की प्रति फल एवं सब्जी एटकशाप को छोड़कर।

संलग्नक: सामानों की सूची।

प्राचार्य  
जवाहर नवोदय विद्यालय  
राजीवपुरम्, उन्नाव

# जवाहर नवोदय विद्यालय, राजीवपुरम्, उन्नाव

## निविदा शर्तें स्वीकार होने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निविदा फार्म में दी गई क्रमांक 01 से 24 तक की समस्त शर्तों को मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ एवं समझ लिया है तथा मुझे सभी शर्तें मान्य हैं जिसके लिए मैं इस प्रमाण—पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ।

फर्म के मालिक का हस्ताक्षर :.....

फर्म का नाम :.....

पता .....

फर्म की सील :.....

मोबाईल नं0: .....

स्थान :.....

दिनांक :.....